न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2010/00031 (88/2010) 223 आरटीएक्ट
रामनिवास पुत्र भुरूराम जाति जाट निवासी सवाई छानी पो.ऑ. छानीबड़ी तहसील भादरा —अपीलाण्ट

बनाम

1. रामकली पत्नी भुरूराम जाति जाट निवासी सवाई छानीबड़ी तहसील भादरा
2. सावित्री पुत्री भुरूराम पत्नी वीरसिह जाति जाट निवासी खावडा खुर्द पो.ऑ. खांबड़ा कलां तहसील व जिला फतेहाबाद
3. आनन्दी पुत्री भुरूराम पत्नी किसनलाल जाति जाट कुडीया निवासी महराना तहसील भादरा।
4. रोशनी बेवा उजालाराम पुत्र भुरूराम जाति जाट निवासी गांव सवाई छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. कुलदीप आयु 14 वर्ष
6. औमप्रकाश आयु 12 वर्ष
7. जयप्रकाश आयु 9 वर्ष

पिसरान उजालाराम पुत्र भुरूराम हर तीनो नाबालिग बली कुदरती माता मु0 रोशनी बेवा उजालाराम जाति जाट निवासी सवाई छानी त0 भादरा जिला हनुमानगढ

8. इन्द्राज
9. लिलुराम
10. आदुराम

पुत्रगण मुली पत्नी बिरबल जाति जाट गोदारा निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

11. नारायणी पुत्री बिरबल पत्नी लीलुराम महीपत जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
12. राजेन्द्र पुत्र बिदामी पत्नी मेहरचन्द जाति जाट डान्डा निवासी चिंकनबास तहसील चुरू (राज0)
13. ओमपति पत्नी मालाराम
14. चन्द्रपति पत्नी रामफल

पिसरान रणसिंह जाति जाट निवासी गुराणा तहसील हिसार

15. वीरमति पत्नी सतवीर पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी पावड़ा तहसील व जिला हिसार
16. राजेन्द्र
17. हीरालाल

पिसरान दानी पत्नी कुरडाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा

18. मुस्मात श्योकोरी पत्नी डुंगरराम जाति जाट निवासी कायमखानी मोहल्ला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19. मुस्मात सीमी पत्नी ताराचन्द पि0 मालाराम जाति जाट बैनीवाल निवासी
20. मु0 श्रवण पत्नी तुलछाराम } नेठराना तहसील भादरा
21. मैना पत्नी श्रवण पुत्र श्री वीरसिह जाति जाट तरड़ निवासी ढुईया तहसील व जिला फतेहाबाद
22. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा —रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2010 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा सं. 65/2007 बअनवानी रामनिवास बनाम रामकली आदि

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट
श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः—24.06.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम में अर्जीदावा प्रस्तुत किया जिसमें दावा की मद सं0 2 में वर्णित भूमि भूरूराम की कुल खातेदारी भूमि में वादी सं0 1 का 1/5 भांग व वादी सं0 2 का 1/10 भाग खातेदारी दर्ज करने एवं प्रतिवादी सं0 1 व 4 से 7 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री से वाद डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि मातहत अदालत का निर्णय कतई खिलाफ मानून, नियम व वाक्यात व रूएदाद मिसल है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विरूद्ध है। मातहत अदालत ने प्रतिवादी नं0 1 अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व अन्य दस्तावेजी व जबानी साक्ष्य पर कोई गौर नहीं किया गया। तथा मनमानी, स्वेच्छाचारी व नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है। तनकीयात किसी प्रकार साबित नहीं थी फिर भी दावा डिक्री किया गया है। अपीलाण्ट के जुम्मे एक तनकी को साबित न मानकर गलत निर्णय पारित किया है जबकि प्रतिवादी अपीलाण्ट ने अपने जुम्मे तनकी अपने दस्तावेजी व जबानी साक्ष्य से भली भांति साबित की थी। वादी नं. 1 का समस्त भूमि 1/5 हिस्सा गलत माना है तथा इन्द्रा कुंवारी फौत होने पर उसका हिस्सा वादी नं. 1 का माना है जो गलत माना है यदि ऐसा था तो मृतक उजालाराम के हिस्सा में भी वादिया नम्बर 1 रामकली का हक बनता है मगर मातहत अदालत ने हिन्दू उत्तराधिकार का सही विश्लेषण न कर विरोधाभाषी निर्णय पारित किया है। वादियान ने अपना हक व हिस्सा मौखिक रूप से तर्क कर दिया था तथा उन्होंने विवादित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की। वास्तव में सभी वारिसों ने रामनिवास एवं अजालाराम के पक्ष में हक छोड़ दिया था। एक पुत्री इन्दिरा का बचपन में फौत होना बताया है जिसका कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि भुरूराम को आवंटित भूमि थी यह भूमि तीन चक 4 जेएसएल 6 जेएसएल, 5 सीएचएल में थी। चक 5 सीएचल की 8 बीघा भूमि में सभी वारिसान के नाम दर्ज हो गई किन्तु 4 जेएसएल एवं 6 जेएसएल की भूमि को रामनिवास एवं उजालाराम के पुत्रों ने केवल अपने नाम दर्ज करवाली जबकि इन चकों में भी सभी वारिसान का हक एवं हिस्सा था दावा में प्रतिवादी सं0 3 से 8, 16, 19 से 21 ने अधीनस्थ न्यायालय में इकबालदावा पेश किया था। रामनिवास जवाब दावा में यह अंकित किया कि बहनों एवं माता ने मौखिक रूप से हक त्याग कर दिया है। विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है अपील अपलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था। जिसमें अपीलाण्ट/प्रतिवादी सं0 1 ने जवाबदावा पेश किया। दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि भुरूराम की पांच बेटियों ने दस्तबरदारी करवादी व शेष माता व बहनों ने अपना हक व हिस्सा मौखिक रामनिवास व उजालाराम के पक्ष में छोड़ दिया था इन्तकाल के समय दोनों नाबालिग थे तथा समस्त कार्यवाही माता रामकली ने ही करवाई थी। विचारण न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया है इन्तकाल प्रदर्श 9 व 10 में दिखाए सजरा में भुरूराम के केवल 7 वारिस दर्शाये हैं उसकी विधवा बेटियों सावित्री व इन्द्रा को दर्शाया ही नहीं गया है दूसरे जब इन्तकाल के वक्त प्रतिवादी स्वयं को नाबालिग बता रहा है तो वादी सावित्री व इन्द्रा भी नाबालिग थी ऐसा वह बयानों में स्वीकार करता है ऐसे में मृतक भुरूराम की विरासत उसकी विधवा व दो बेटीयों को नहीं मिलने का कोई सबूत प्रतिवादी पक्ष ने पेश नहीं किया है। आनूनन किसी हकदार का हक तर्क नहीं हो सकता है। मु0 इन्द्रा का भुरूराम की बेटी होना व कुंवारी होना स्वीकार्य तथ्य है। मु0 इन्द्रा को भूरूराम की विरासत मिलना माना है ऐसे में मृतक इन्द्रा की मृत्यु के समय उसकी प्रथम श्रेणी की वारिस एक मात्र उसकी माता वादी सं0 1 रामकली थी जिसे मृतक इन्द्रा की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है। विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मृतक भुरूराम के 10 वारिसान होने एवं वादीगण वा मृतक इन्द्रा वरवक्त मृत्यु भुरूराम मौजूद था। ऐसे में राजस्व विभाग द्वारा बिना उनको सुने व भूरूराम के परिवार के सजरे में दर्शाये उनका हक या हिस्सा रामनिवास व उजालाराम के दर्ज किया है उक्त इन्तकाल कतई विधि सम्मत नहीं माने हैं। ऐसे में उक्त इन्तकाल दर्ज होने मात्र से वादीगण के हक प्रभावित नहीं हो सकते। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में ऐसी कोई विधिक त्रूटि सामने नहीं आई है जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2010 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास मूल चन्द आर0ए0एस0

अपील संख्या 2010/00031 (88/2010) 223 आरटीएक्ट

रामनिवास पुत्र भुरूराम जाति जाट निवासी सवाई छानी पो.ऑ. छानीबड़ी तहसील भादरा —अपीलाण्ट

बनाम

1. रामकली पत्नी भुरूराम जाति जाट निवासी सवाई छानीबड़ी तहसील भादरा
2. सावित्री पुत्री भुरूराम पत्नी वीरसिह जाति जाट निवासी खावडा खुर्द पो.ऑ. खाबड़ा कलां तहसील व जिला फतेहाबाद
3. आनन्दी पुत्री भुरूराम पत्नी किसनलाल जाति जाट कुडीया निवासी महराना तहसील भादरा।
4. रोशनी बेवा उजालाराम पुत्र भुरूराम जाति जाट निवासी गांव सवाई छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. कुलदीप आयु 14 वर्ष
6. औमप्रकाश आयु 12 वर्ष
7. जयप्रकाश आयु 9 वर्ष

पिसरान उजालाराम पुत्र भुरूराम हर तीनो नाबालिग वली कुदरती माता मु0 रोशनी बेवा उजालाराम जाति जाट निवासी सवाई छानी त0 भादरा जिला हनुमानगढ

8. इन्द्राज
9. लिलुराम
10. आदुराम

पुत्रगण मुली पत्नी बिरबल जाति जाट गोदारा निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

11. नारायणी पुत्री बिरबल पत्नी लीलुराम महीपत जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. राजेन्द्र पुत्र बिदामी पत्नी मेहरचन्द जाति जाट डान्डा निवासी चिकनबास तहसील चुरू (राज0)
13. ओमपति पत्नी मालाराम
14. चन्द्रपति पत्नी रामफल

पिसरान रणसिंह जाति जाट निवासी गुराणा तहसील हिसार

15. वीरमति पत्नी सतवीर पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी पावड़ा तहसील व जिला हिसार
16. राजेन्द्र
17. हीरालाल

पिसरान दानी पत्नी कुरडाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा

18. मुस्मात श्योकोरी पत्नी डुंगरराम जाति जाट निवासी कायमखानी मोहल्ला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19. मुस्मात सीमी पत्नी ताराचन्द } पि0 मालाराम जाति जाट बैनीवाल निवासी
20. मु0 श्रवण पत्नी तुलछाराम } नेठराना तहसील भादरा
21. मैना पत्नी श्रवण पुत्र श्री वीरसिह जाति जाट तरड़ निवासी ढुईया तहसील व जिला फतेहाबाद
22. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा —रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2010 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा सं. 65/2007 बअनवानी रामनिवास बनाम रामकली आदि

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.06.2016 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (फास्ट ट्रेक)भादरा प्रकरण संख्या 470/2013 बअनवानी सदीक खां बनाम यासीन खां

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट, श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता, की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्डाधिकारी एवं सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा के निर्णय दिनांक 17.06.2016 को यथावत रखा जाता है। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 24.06.2019 को जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(मूलचंद) आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़